न्यायालयः अपर जिला न्यायाधीश राजगढ़, जिला अलवर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : डॉ. लेखपाल शर्मा, आर.जे.एस.,
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

दीवानी विविध प्रकरण संख्या : 38/165/2024
सी.आई.एस. नंबर : 77/2024

01. नारंगी देवी पत्नी रामरूप पुत्री श्री रामफूल सैनी उम्र 34 साल निवासी नारायणपुर नाथाल्वारा तहसील राजगढ, जिला अलवर हाल पीहर ग्राम बसवा तहसील बाडीखुर्द, जिला दौसा (राज.) **....प्रार्थीनी**

ब ना म

01. रामरूप पुत्र श्री गिरधारी उम्र 38 साल निवासी नारायणपुर नाथाल्वारा तहसील राजगढ, जिला अलवर (राज.) **.....अप्रार्थी**

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 13(i)(क) हिन्दू विवाह अधिनियम

उपस्थितिः–

(1) विद्वान अधिवक्ता श्री शीशराम गोठवाल, प्रार्थीनी की ओर से।
(2) अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

:: निर्णय :: **दिनांकः 30 मई, 2026**

01. प्रार्थीनी नारंगी देवी की ओर से हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13(i)(क) के तहत विवाह विच्छेद किये जाने बाबत यह प्रार्थना पत्र दिनांक 24.10.2024 को प्रस्तुत किया जाकर कथन किया गया कि, "प्रार्थीनी का विवाह अप्रार्थी के साथ दिनांक 25.06.2013 को हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार प्रार्थीनी की माता के निवास स्थान ग्राम बसवा तहसील बाडीखुर्द जिला दौसा में सम्पन्न हुआ था। इस प्रकार प्रार्थीनी और अप्रार्थी आपस में पति–पत्नी है। उक्त विवाह में प्रार्थीनी की माता द्वारा अपनी हैसियत से भी अधिक दान दहेज दिया गया था, जिसमें घरेलू सामान, जेवरात व नकद पैसे दिये गये थे। प्रार्थीनी व अप्रार्थी विवाह के बाद से राजीखुशी से जीवनयापन करते रहे और प्रार्थीनी व अप्रार्थी के नुत्फे से दो संतान का जन्म हुआ। प्रार्थीनी व अप्रार्थी शादी के बाद में बतौर पत्नी व पति साथ–साथ निवास करने लगे तथा शादी के कुछ दिनों तक तो सही रखा और बाद में प्रार्थीनी का पति रामरूप, ससुर, सास प्रार्थीनी को दहेज के लिए शारीरिक व मानसिक रूप से तंग व परेशान कर प्रताडित करते हुए मारपीट करना शुरू कर दिया और दहेज कम देने का ताना देकर एक मोटरसाईकिल व 2 लाख रूपये की मांग करते हुए प्रार्थीनी के साथ मारपीट करते। प्रार्थीनी द्वारा इनको दहेज के लिए मना करने पर उक्त लोग आवेश में आकर प्रार्थीनी के साथ मारपीट करते और प्रार्थीनी को आये दिन शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित करते हुए तंग व परेशान करते हुए घर से निकाल देते। प्रार्थीनी के पीहरजन व समाज के मौजिज लोगों की समझाईश के उपरांत

उक्त लोग प्रार्थीनी को अपने ससुराल ले गए। प्रार्थीनी व अप्रार्थी के नुत्फे से जन्मे घनश्याम के कुंआ पूजन पर भी उक्त लोग उससे दहेज में एक मोटरसाईकिल की मांग की। दूसरी संतान के जन्म के समय भी उक्त लोगों ने उससे दहेज की मांग की तो उसके द्वारा अप्रार्थी को मना करने पर उसके साथ मारपीट की और उसके व उसके परिवारजन के लोगों के साथ कुंआ पूजन पर अभद्रतापूर्वक व्यवहार किया गया। उसका पति व उसके परिवारजन के लोग दहेज के लोभी होने के कारण उसको हमेशा के लिए शारीरिक व मानसिक रूप से क्रूरतापूर्वक व्यवहार करते हुए मारपीट करके बार—बार घर से निकाल देते और वर्ष 2023 माह अक्टूबर में अप्रार्थी व उसके परिवारजन के लोग प्रार्थीनी के साथ दहेज की मांग करते हुए क्रूरतापूर्वक व्यवहार करते हुए प्रार्थीनी के साथ मारपीट कर प्रार्थीनी के दोनों बच्चों को अपने पास रखकर प्रार्थीनी को पहने हुए कपडों में निकाल दिया और प्रार्थीनी का स्त्रीधन भी अपने पास रख लिया। अप्रार्थी व उसके परिवारजन ने दिनांक 15.10.2024 को प्रार्थीनी को धमकी दी कि हमारे को एक मोटरसाईकिल व 02 लाख रूपये तेरे माता—पिता से दिलवायेगी तो ही हम तेरे को रखेगें नहीं तो हम रामरूप की दूसरी शादी करके तेरी जिन्दगी बर्बाद करके रहेंगे। प्रार्थीनी 01 वर्ष से अपने पिता के घर ग्राम बसवा तहसील बाडीखुर्द जिला दौसा में निवास कर रही है। इस कारण प्रार्थीनी के भविष्य को ध्यान में रखते हुए प्रार्थीनी के पक्ष में विवाह विच्छेद की डिक्री पारित किया जाना सर्वथा न्यायोचित है। प्रार्थीनी ने अपने माता, परिवारजन व रिश्तेदारों के माध्यम व स्वयं के प्रयास से प्रार्थीनी व अप्रार्थी के विवाह को विवाह विच्छेद कराने के लिए अप्रार्थी को कहा तो अप्रार्थी पहले तो हां करता रहा लेकिन अब दिनांक 22.10.2024 को साफ इंकार हो गया तथा अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीनी व अप्रार्थी के मध्य दिनांक 25.06.2013 को सम्पन्न हुए विवाह को शून्य घोषित करते हुए विघटित किया जाकर प्रार्थीनी के पक्ष में विवाह—विच्छेद की डिक्री पारित किये जाने का निवेदन किया।

02. अप्रार्थी की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर स्वयं व प्रार्थीनी का विवाह दिनांक 25.06.2013 को सम्पन्न होना स्वीकार किया तथा प्रार्थना—पत्र में वर्णित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया गया कि उक्त विवाह बेहद साधारण तरीके से बिना किसी दान दहेज के सम्पन्न हुआ था। विवाह पश्चात् से प्रार्थीनी द्वारा कभी भी अपने दाम्पत्य कर्तव्यों का भली भांति निर्वहन नही किया गया है। जब भी अप्रार्थी, प्रार्थीनी के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करने का प्रयास करता तो प्रार्थीनी आनाकानी करते हुए अभद्र तरीके से पेश आते हुए भला बुरा कहती। साथ ही प्रार्थीनी, अप्रार्थी को पसंद नहीं करने की बात कहते हुए लज्जित करती, जिससे अप्रार्थी काफी अपमानित महसूस करता। इस प्रकार प्रार्थीनी द्वारा आरम्भ से ही अप्रार्थी को शारीरिक व मानसिक सुख प्रदान नहीं किया गया और हमेशा अप्रार्थी के साथ शारीरिक व मानसिक क्रूरता कारित की गई है, जिसके बावजूद भी अप्रार्थी समय के साथ प्रार्थीनी के बर्ताव में सुधार आने की उम्मीद में सब कुछ सहन करता रहा। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीनी को अपनी धर्मपत्नी व अप्रार्थी के

(डॉ. लेखपाल शर्मा, आर.जे.एस.)

परिवारजन द्वारा प्रार्थीनी को पुत्रवधु के रूप में पूर्ण सम्मान के साथ रखा गया, साथ ही प्रार्थीनी की समस्त जायज आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए उसे सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई। प्रार्थीनी स्वच्छंद प्रकृति की चरित्रहीन महिला है, जिसके अनेक लडकों से प्रेम प्रसंग है और जरिये दूरभाष उनके सम्पर्क में रहती। साथ ही प्रार्थीनी, अप्रार्थी के काम पर चले जाने के उपरांत उन लडको को घर बुलाकर मिलती, जिन्हें कई बार अप्रार्थी द्वारा आपत्तिजनक अवस्था में देखा गया। जिसका विरोध करने पर प्रार्थीनी नाराज हो जाती और अप्रार्थी के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार करते हुए झगडा फसाद करते हुए मारपीट करने लगती। प्रार्थीनी द्वारा कभी भी अपने दाम्पत्य कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया गया और ना ही उसकी किसी घरेलू कार्य में कोई रूचि थी। वह सुबह देर सोकर उठती और आये दिन अप्रार्थी के साथ गाली–गलौच करते हुए झगडा करती। जिससे अप्रार्थी के घर का माहौल काफी कलहपूर्ण रहता। जब अप्रार्थी व उसके परिवारजन द्वारा प्रार्थीनी को समझाने का प्रयास किया जाता तो प्रार्थीनी नाराज होकर अभद्रतापूर्ण व्यवहार करती और अप्रार्थी व उसके परिवारजन को झूठे दहेज के मुकदमे में फंसाने की धमकी देते हुए बिना किसी को बताये अपने पीहर चली जाती। दौराने वैवाहिक जीवन प्रार्थीनी द्वारा दो पुत्रों को जन्म दिया गया, जिनके जन्म से अप्रार्थी व उसके परिवारजन अत्यधिक उत्साहित थे। किन्तु स्वयं प्रार्थीनी मातृत्व कर्तव्यों के प्रति बेहद उदासीन महिला है, जिसके द्वारा कभी भी अपनी संतानों की उचित देखभाल नहीं की गई। इसके अतिरिक्त प्रार्थीनी, अप्रार्थी पर अपने परिवारजन से पृथक निवास करने का दबाव बनाती रहती। इस प्रकार प्रार्थीनी द्वारा दौराने वैवाहिक जीवन अप्रार्थी को किसी प्रकार से शारीरिक व मानसिक सुख प्रदान नहीं किया गया और अधिकांश समय अप्रार्थी से पृथक अपने पीहर में जीवन निर्वहन करती रही। प्रार्थीनी अपनी स्वच्छंद प्रकृति के चलते दिनांक 06.11.2024 की रात्रि को घर में रखे अप्रार्थी की दादी के एक किलोग्राम चांदी के कडे लेकर फरार हो गई। अगले दिन प्रातः जब प्रार्थीनी घर में मौजूद नही मिली तो प्रार्थीनी को ढूंढने का प्रयास किया गया किन्तु प्रार्थीनी का मोबाईल भी स्विच ऑफ आ रहा था, जिस पर अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीनी की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस थाना टहला में दर्ज कराई गई। अप्रार्थी कोई शराब पीने का आदी नहीं है। प्रार्थीनी द्वारा अपने उग्र व जिद्दी स्वभाव के कारण अप्रार्थी को पत्नी सुख से वंचित किया हुआ है और वह बिना किसी युक्तियुक्त कारण के अप्रार्थी का परित्याग करते हुए स्वयं के पीहर में निवास कर रही है। जिसे लाने का काफी प्रयास किया गया लेकिन प्रार्थीनी की हठधर्मिता के कारण विफल हो गये। अप्रार्थी आज भी प्रार्थीनी को अपनी धर्मपत्नी के रूप में बेहद प्यार करते हुए शेष वैवाहिक जीवन निर्वहन करने को तत्पर व तैयार है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी के भविष्य को ध्यान में रखते हुए प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना–पत्र खारिज किये जाने योग्य है तथा अंत में प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किये जाने का निवेदन किया।

03. उभयपक्षों के अभिवचनों के आधार पर प्रकरण में दिनांक को 26.05.2025 को निम्न विवाद्यक कायम किए गएः–

(1) आया याचिका में वर्णित तथ्यों के अनुसार अप्रार्थी ने प्रार्थीनी के साथ क्रूरता का व्यवहार किया है ? ......**प्रार्थीनी**

(2) आया अप्रार्थी ने बिना किसी युक्तियुक्त कारण के प्रार्थीनी का परित्याग किया हुआ है तथा प्रार्थीनी को उसके दाम्पत्य सुख से वंचित कर रखा है ? ....**प्रार्थीनी**

(3) आया प्रार्थीनी अप्रार्थी के विरूद्ध दिनांक 25.06.2013 को सम्पन्न हुए विवाह को शून्य व अकृत घोषित कराकर विवाह विच्छेद की डिक्री प्राप्त करने की अधिकारी है ? .....**प्रार्थीनी**

(4) अनुतोष ?

04. प्रार्थीनी ने अपनी मौखिक साक्ष्य में गवाह ए.डब्ल्यू. 01 स्वयं नारंगी देवी, ए.डब्ल्यू. 02 रामफूलको परीक्षित कराया है तथा दस्तावेजी साक्ष्य में किसी भी दस्तावेज को प्रदर्शित नहीं करवाया गया है।

05. अप्रार्थी की ओर से कोई भी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है।

06. प्रार्थना पत्र के संबंध में एकपक्षीय प्रार्थीनी की बहस सुनी गयी। प्रार्थीनी के विद्वान अधिवक्ता की ओर से अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को साररूप में दोहराते हुए मुख्यतः तर्क दिया गया कि प्रार्थीनी सदैव से अपने दाम्पत्य कर्तव्यों को निभाने के लिए तत्पर रही है। उनका यह भी तर्क रहा है कि अप्रार्थी शराब पीने का आदी है, जो देर रात्रि घर आकर दहेज की नाजायज मांग को लेकर प्रार्थीनी के साथ बुरी तरह से मारपीट करता है। उनका यह भी तर्क रहा है कि अप्रार्थी, प्रार्थीनी के चरित्र पर लांछन लगाते हुए पर–पुरूषों के साथ अवैध संबंध होने की बात कहकर चरित्रहीन कहकर अपमानित करता, जिससे प्रार्थीनी के आत्म सम्मान को ठेस पहुंचती। उनका यह भी तर्क रहा है कि प्रार्थीनी संस्कारी परिवार से संबंध रखती है, जो शांत स्वभाव की महिला है जिसने सदैव प्रार्थी व उसके परिवारजन का पूर्ण सम्मान करते हुए पारिवारिक व सामाजिक कर्तव्यों का पालन करते हुए दाम्पत्य जीवन का निर्वहन किया गया है किन्तु प्रार्थी व उसके परिवारजन दहेज के लोभी व लालची है, जो दहेज की नाजायज मांग को लेकर प्रार्थीनी के साथ आए दिन मारपीट करते हैं एवं मानसिक व शारीरिक रूप से क्रूरता कारित करते हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थीनी एवं अप्रार्थी का एक साथ वैवाहिक जीवन व्यतीत किया जाना संभव नहीं है तथा अंत में प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने का निवेदन किया।

07. तर्कों पर मनन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण में विरचित किए गए विवाद्यकों पर मेरा निष्कर्ष निम्न प्रकार हैः–

<u>विवाद्यक संख्या 01 :–</u>

08. उक्त विवाद्यक को साबित करने का भार प्रार्थीनी पर है। उक्त विवाद्यक में प्रार्थीनी को यह साबित करना है कि **"आया याचिका में वर्णित तथ्यों के अनुसार अप्रार्थी ने प्रार्थीनी के साथ क्रूरता का व्यवहार किया है ?"**

09. उक्त विवाद्यक के संबंध में प्रार्थीनी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में मुख्य रूप

(डॉ. लेखपाल शर्मा, आर.जे.एस.)

से यह अभिवचन किए गए है कि अप्रार्थी व उसके परिवारजन प्रार्थीनी को कम दहेज लाने का ताना देते हुए दहेज में एक मोटरसाईकिल व 02 लाख रूपये की मांग करने लगे तथा दहेज की मांग करते हुए मारपीट कर प्रताडित करना शुरू कर दिया गया। अप्रार्थी शराब पीने का आदी है जो देर रात्रि घर आकर उक्त दहेज की मांग कर मारपीट करता। साथ ही अप्रार्थी उक्त दहेज की मांग की पूर्ति हेतु दबाव बनाने की नीयत से प्रार्थीनी की किसी जायज आवश्यकता की पूर्ति नहीं करता। अप्रार्थी, प्रार्थीनी को पसंद नहीं करने की बात कहते हुए दहेज में उक्त मांग पूरी नहीं होने पर पुनर्विवाह करने की धमकी देता और प्रार्थीनी को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित करता था। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी, प्रार्थीनी के चरित्र पर लांछन लगाते हुए पर पुरूषों के साथ अवैध संबंध होने की बात कहकर चरित्रहीन कहकर अपमानित कहता और दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर छोडने की धमकी देता। समझाईश के उपरांत आश्वासन दिये जाने के बावजूद भी अप्रार्थी व उसके परिवारजन के रवैये में कोई बदलाव नहीं आया और वे पुनः प्रार्थीनी को दहेज में उक्त मांग को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित करते रहे, जिसके चलते माह अक्टूबर 2023 में अप्रार्थी व उसके परिवारजन ने प्रार्थीनी के साथ गंभीर रूप से मारपीट कर दोनों पुत्रों को अपने पास रखकर प्रार्थीनी को पहने हुए कपडों में घर से निकाल दिया। अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीनी को दहेज की मांग को लेकर काफी प्रताडित किया गया है।

10. प्रार्थीनी द्वारा किए गए उपरोक्त अभिवचनों के संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किये जाने पर यह दर्शित होता है कि प्रार्थीनी द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध दहेज का ताना देते हुए एक मोटरसाईकिल व 02 लाख रूपये की मांग करने व उसके साथ मारपीट करने संबंधी अभिकथनों के संबंध में अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में उपरोक्त तथ्यों से इंकार करते हुए यह अभिवचन किए गए हैं कि प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध दहेज के झूठे तथ्य अभिवचन किए है। अप्रार्थी शराब नहीं पीता है और प्रार्थीनी की समस्त जायज आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। अप्रार्थी व उसके परिवारजन द्वारा प्रार्थीनी से कभी कोई दहेज की मांग नहीं की गई।

11. उभयपक्ष द्वारा किए गए उपरोक्त विरोधाभासी अभिवचनों के संबंध में प्रार्थीनी पक्ष की ओर से स्वयं प्रार्थीनी नारंगी देवी ए.डब्ल्यू. 01 ने मुख्य परीक्षण बाबत प्रस्तुत शपथ पत्र में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को साररूप में दोहराते हुए कथन किए है कि दहेज में उससे एक मोटरसाईकिल व 02 लाख रूपये की मांग की गई। इस बाबत वह प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जो बसवा थाने में दर्ज है। उसके साथ अप्रार्थी व उसके परिवारजन ने मानसिक, शारीरिक व आर्थिक रूप से पीडा पहुंचाई है। उक्त गवाह ने यह भी कथन किए गए है कि इन 5–6 वर्षों में उसे पति ने अपने साथ रखने हेतु कोई कोशिश नहीं की। उक्त गवाह के द्वारा दहेज की उक्त मांग के संबंध में किए गए कथनों की ताईद प्रार्थीनी पक्ष की ओर से परीक्षित गवाह ए.डब्ल्यू. 02 रामफूल द्वारा अपने बयानों में की गई है। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में यह अभिवचन किए गए हैं कि प्रार्थीया का विवाह पूर्व

(डॉ. लेखपाल शर्मा, आर.जे.एस.)

पर–पुरूषों से नाजायज संबंध रहा है, जिनसे वह विवाह पश्चात् मोबाईल से सम्पर्क में रहती है। साथ ही अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में यह तथ्य भी अंकित किए हैं कि प्रार्थीनी, अप्रार्थी के काम पर चले जाने के उपरांत उन लडको को घर बुलाकर मिलती। जिन्हें कई बार अप्रार्थी द्वारा आपत्तिजनक अवस्था में देखा गया।

अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में किए गए उपरोक्त अभिकथनों के संबंध में में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, जिसके आधार पर अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की संपुष्टि नहीं हो पाती है जबकि अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की संपुष्टि के अभाव में यह माना जावेगा कि अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य बिना किसी आधार के अंकित किए गए है, जो स्वयं अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीया के विरूद्ध क्रूरतापूर्ण व्यवहार की श्रेणी में आते है। ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष उपरोक्त तथ्यों व साक्ष्य के आधार पर यह तथ्य स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीनी के विरूद्ध पर पुरूषों से अवैध संबंध होने संबंधी गलत लांछन लगाया गया है। जिसके संबंध में न्यायिक दृष्टांत **2017(4) DNJ (Raj.) 1425, Naresh Agarwal (Dr.) Vs. Smt. Pallavi, D.B. Civil Misc. Appeal No. 2157 of 2009 decided on 13-09-2017** में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि, "Casting doubt on reputation and character amounts to cruelty." अतः उक्त न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित सिद्धान्त प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में अप्रार्थी के बजाय प्रार्थीनी के पक्ष में सहायता प्रदान करता है।

अतः उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत में अभिनिर्धारित सिद्धान्तों के अनुसार किसी पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार पर अवैध संबंधों का झूठा लांछन लगाना मानसिक क्रूरता की परिधि में आता है।

12. इस प्रकार पत्रावली पर प्रस्तुत हुई साक्ष्य एवं प्रार्थीनी द्वारा बहस के दौरान उठाए गए तर्कों के संबंध में उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीनी, अप्रार्थी द्वारा उसके विरूद्ध क्रूरतापूर्ण व्यवहार के तथ्य को प्रमाणित कर पाने में सफल रही है। ऐसी स्थिति में **<u>विवाद्यक संख्या 01 प्रार्थीनी के पक्ष में</u>** विनिश्चित किया जाता है।

<u>विवाद्यक संख्या 02 :–</u>

13. उक्त विवाद्यक को साबित करने का भार प्रार्थीनी पर है। उक्त विवाद्यक में प्रार्थीनी को यह साबित करना है कि **"आया अप्रार्थी ने बिना किसी युक्तियुक्त कारण के प्रार्थीनी का परित्याग किया हुआ है तथा प्रार्थीनी को उसके दाम्पत्य सुख से वंचित कर रखा है ?"**

14. उक्त विवाद्यक के संबंध में प्रार्थीनी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह अभिवचन किये है कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीनी को शारीरिक व मानसिक रूप से काफी प्रताडित किया गया है और वर्तमान में माह अक्टूबर 2023 से प्रार्थीनी का परित्याग किया हुआ है।

इसके विपरीत अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में यह अभिवचन किए गए है कि प्रार्थीनी अपनी स्वच्छंद प्रकृति के चलते दिनांक 06.11.2024 को

(डॉ. लेखपाल शर्मा, आर.जे.एस.)

रात्रि को ही घर में रखे अप्रार्थी के दादी के एक किलोग्राम वजनी चांदी के कडे लेकर फरार हो गई। अगले दिन प्रातः को जब प्रार्थीनी घर पर मौजूद नहीं मिली तो प्रार्थीनी को ढूंढने का काफी प्रयास किया गया किन्तु प्रार्थीनी का मोबाईल स्विच ऑफ आ रहा था, जिस पर अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीनी की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस थाना टहला में दर्ज कराई गई। प्रार्थीनी द्वारा उग्र व जिद्दी स्वभाव के कारण अप्रार्थी को पत्नी सुख से वंचित किया हुआ है और वह बिना किसी युक्तियुक्त कारण के अप्रार्थी का परित्याग करते हुए स्वयं के पीहर में निवास कर रही है।

15. उभयपक्ष द्वारा किए गए अभिवचनों से प्रथम दृष्टया यह दर्शित होता है कि प्रार्थीनी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र एवं साक्ष्य में माह अक्टूबर 2023 से अप्रार्थी से पृथक रहना कथन किया है जबकि अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में दिनांक 06.11.2024 के पश्चात् से पृथक रहना कथन किया है जबकि हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थीनी द्वारा दिनांक 24.10.2024 को ही प्रस्तुत कर दिया गया था, जिसके आधार पर अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में किए गए अभिवचनों को बल प्राप्त नही होता है। इसके अतिरिक्त प्रार्थीनी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुती से करीब एक वर्ष पूर्व से साथ—साथ नहीं रहकर पृथक—पृथक निवास करना अभिवचन किया है जबकि परित्याग के आधार पर विवाह—विच्छेद का अनुतोष प्राप्त किये जाने के संबंध में **हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13(1)(1ख)** में यह विधिक प्रावधान विहित किए गए है किः— **(1) कोई भी विवाह, वह इस अधिनियम के प्रारम्भ के चाहे पूर्व अनुष्ठापित हुआ हो चाहे पश्चात्, पति अथवा पत्नी द्वारा उपस्थापित अर्जी व विवाह—विच्छेद की डिक्री द्वारा इस आधार पर विघटित किया जा सकेगा किः—**

(iख) दूसरे पक्षकार ने अर्जी के पेश किए जाने के अव्यवहित पूर्व कम से कम दो वर्ष की निरन्तर कालावधि भर अर्जीदार को अभित्यक्त रखा है;

उपरोक्त विधिक प्रावधानों के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि किसी पक्षकार द्वारा परित्याग के आधार पर विवाह—विच्छेद का अनुतोष प्राप्त किये जाने हेतु यह आवश्यक है कि प्रार्थना पत्र प्रस्तुति की दिनांक से पूर्व 02 वर्ष की समयावधि तक दूसरे पक्षकार द्वारा उसका परित्याग किया गया हो जबकि हस्तगत प्रकरण में स्पष्ट रूप से यह तथ्य दर्शित होता है कि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीनी का परित्याग प्रार्थना पत्र प्रस्तुति से एक वर्ष पूर्व से किया जाना स्वयं प्रार्थीनी द्वारा अभिकथन किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीनी के अभिकथनों से परित्याग के आधार पर दो वर्ष की परित्याग अवधि प्रार्थना पत्र प्रस्तुति से पूर्व प्रमाणित नहीं होती है।

16. ऐसी स्थिति में उक्त विवाद्यक को प्रार्थीनी अपने पक्ष में साबित कर पाने में असफल रही है, जिस कारण **विवाद्यक संख्या 02 प्रार्थीनी के विरूद्ध** विनिश्चित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 03 :—

17. उक्त विवाद्यक को साबित करने का भार प्रार्थीनी पर है। उक्त विवाद्यक में प्रार्थीनी को यह साबित करना है कि, **"आया प्रार्थीनी अप्रार्थी के विरूद्ध दिनांक 25.06.2013 को सम्पन्न हुए विवाह को शून्य व अकृत घोषित कराकर**

(डॉ. लेखपाल शर्मा, आर.जे.एस.)

विवाह विच्छेद की डिक्री प्राप्त करने की अधिकारी है ?"

इस संबंध में पूर्वोक्त विवेचन के अनुसार विवाद्यक संख्या 01 प्रार्थीनी के पक्ष में व विवाद्यक संख्या 02 प्रार्थीनी के विरूद्ध विनिश्चित किए गए है। इस संबंध में न्यायिक दृष्टान्त **2004(3) DNJ (Raj.) 1332, Suman Devi Vs. Ajay Kumar, D.B. Civil Misc. Appeal No. 1578 of 2021 decided on 20-08-2024** में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि, "One ground is sufficient for decree of divorce." उक्त न्यायिक दृष्टान्त हस्तगत प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों में पूर्ण रूप से चस्पा होता है।

18. ऐसी स्थिति में प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र **क्रूरता के आधार पर** स्वीकार किये जाने से प्रार्थीनी एवं अप्रार्थी के मध्य हुए विवाह दिनांक 25.06.2013 को विघटित किया जाकर विवाह—विच्छेद की डिक्री प्रदान किया जाना उचित पाया जाता है।

विवाद्यक संख्या 04 :—

19. उक्त विवाद्यक अनुतोष से संबंधित है। चूंकि विवाद्यक संख्या 01 व 03 प्रार्थीनी के पक्ष में व विवाद्यक संख्या 02 प्रार्थीनी के विरूद्ध विनिश्चित किए गए है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पक्षकारान के मध्य हुए विवाह दिनांक 25.06.2013 को विघटित किया जाकर विवाह—विच्छेद की डिक्री प्रदान किया जाना उचित पाया जाता है।

:: आदेश ::

20. परिणामतः **प्रार्थीनी नारंगी देवी पत्नी रामरूप** पुत्री श्री रामफूल सैनी उम्र 34 साल निवासी नारायणपुर नाथाल्वारा तहसील राजगढ, जिला अलवर हाल पीहर ग्राम बसवा तहसील बाडीखुर्द, जिला दौसा (राज.) का प्रार्थना पत्र विरूद्ध **अप्रार्थी रामरूप पुत्र श्री गिरधारी** उम्र 38 साल निवासी नारायणपुर नाथाल्वारा तहसील राजगढ, जिला अलवर (राज.) अन्तर्गत धारा **13(i)(क) हिन्दू विवाह अधिनियम** स्वीकार किया जाकर प्रार्थीनी व अप्रार्थी के मध्य दिनांक 25.06.2013 को सम्पन्न हुए विवाह को शून्य घोषित करते हुए विघटित किया जाकर विवाह विच्छेद की डिक्री पारित की जाती है, जो डिक्री आज से प्रभावी होगी तथा आज के पश्चात पक्षकारान के मध्य पति—पत्नी के कोई संबंध नहीं रहेंगे। **खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।**

21. आदेशानुसार डिक्री पर्चा तैयार किया जावे।

(डॉ. लेखपाल शर्मा)

22. आदेश आज दिनांक 30.05.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. लेखपाल शर्मा)

(डॉ. लेखपाल शर्मा, आर.जे.एस.)